

देवघर समाहरणालय  
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या 865/भू अ०

दिनांक : 25/11/17

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-रतनपुर, थाना-देवघर, थाना सं०- 517, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना रिखिया से मोहनपुर (एन० एच० 133 पर) पथ पुनर्निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-रतनपुर, थाना-देवघर, थाना सं०-517, अंचल-मोहनपुर, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 2.68 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क.स.	खात I सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	160	रैयती	बाड़ी-1	0.12	अजय कुमार वो कार्तिक कुमार झा वो आनन्दी देवी पे० लक्ष्मी नारायण झा वो अजीत कुमार झा माता अन्न पूर्णा देवी वो मनोज कुमार झा माता राधा देवी वो सरोज कुमार झा माता गिरिबाला देवी वो शंकर कुमार झा पे० निलकण्ठ झा वो श्यामा देवी वो सुषमा देवी वो शशांक कुमार झा वो स्वेता देवी माता ललीता देवी वो सूरज झा वो शशि झा वो संता देवी वो मिनाक्षी देवी माता निरू देवी वो दीलीप कुमार झा वो सुरेश कुमार झा वो रमेश कुमार झा पे० दीनानाथ झा उर्फ बाबु झा वो इन्द्र कुमार झा वो सुधीर कुमार झा वो सुभ्रांसु कुमार झा वो नवदुर्गा देवी वो बेबी देवी पे० शंभु चरण झा अंश समान सा० देह।	मौजा - उदय पुर नं० 518 एवं अर्जि त दाग नं० का अंश	मौजा -तार ।बाद नं०- 695, मौजा माधो पुर नं०- 526 एवं अर्जि त दाग नं० का अंश	मौजा -जि यापा नी नं०- 516	मौजा बाबुडी ह-नं० 525
2		103			0.02	मुस्तवाहा				
3	3	131	रैयती	धानी-3	0.04	शिवशंकर मिर्धा वो नरेश तुरी पे० केवल मिर्धा वो भुनेश्वर तुरी वो कर्मचन्द मिर्धा पे० हरिहर मिर्धा अंश समान सा० देह।				
4	3	130	रैयती	धानी-3	0.04	प्रकाश तुरी पे० गुली मिर्धा।				
5		257			0.01	मुस्तवाहा				
6	3	126	रैयती	बाड़ी-1	0.03	तथैव।				
7	6	121	रैयती		0.02	अर्जून राउत पे० रामेश्वर राउत वो सुखो राउत पे० गणेश राउत अंश समान सा० देह।				
8	7	135	रैयती	धानी-3	0.11	भुनेश्वर मोदी वो मुंशी मोदी पे० झारी मोदी वो राजेश मोदी वो संतोष मोदी पे० नुनु बाबु मोदी वो चन्दा देवी पति हनुमान मोदी अंश समान सा० देह।				
9	10	190	रैयती	धानी-3	0.18	मनोज कुमार यादव पे० कालेश्वर महतो वो गोवर्धन महतो वो बाबु महतो पे० खागपत महतो अंश समान सा० देह।				
10	10	328	रैयती	धानी-3	0.16					
11	11	207	रैयती	धानी-3	0.04	गिरधारी राय पे० धुधर राय।				


12	11	206	रैयती	धानी-3	0.03	गाजो राय पे० कारू राय वो धोधोराय उर्फ कालेश्वर राय पे० फुदू राय वो गिरधारी पे० धुधर राय अंश समान सा० देह।				
13	11	208	रैयती	धानी-3	0.02					
14	12	78	रैयती	धानी-3	0.05	महावीर राय वो एतवारी राय पे० केशो राय वो संतु राय वो हुरो राय पे० पुरन राय वो पंचन राय पे० खुशल राय अंश समान सा० देह।				
15	12	106	रैयती	धानी-3	0.01					
16	14	187	रैयती	बाड़ी-1	0.04	उपेन्द्रनाथ सिंह वो धीरेन्द्र सिंह वो बीरेन्द्र सिंह पे० राजामणि सिंह अंश समान सा० देह।				
17	15	102	रैयती	धानी-3	0.08	करमन राय वो तेनकू राय वो टिकू राय पे० गुलाब राय वो संतु राय पे० दरवारी राय वो मुकेश राय वो रितेश राय वो अजय राय पे० हुरो राय अंश समान सा० देह।				
18	16	79	रैयती	धानी-3	0.05	करमन राय वो तेनकू राय वो टिकू राय पे० गुलाब राय अंश समान सा० देह।				
19	21	1	रैयती	बाड़ी-2	0.16	रामदास पोद्दार माता नूनसुन्दरी पोद्दारीन।				
20	21	19	रैयती	धानी-3	0.05					
21	21	2	रैयती	बाड़ी-2	0.14	बद्री पोद्दार पे० महावीर पोद्दार वो सरस्वती देवी पति दुलार पोद्दार अंश समान सा० देह।				
22	21	12	रैयती	धानी-3	0.06					
23	21	20	रैयती	बाड़ी-1	0.01					
24	21	3	रैयती	बाड़ी-2	0.16					
25	21	11	रैयती	धानी-3	0.13	शंकर पोद्दार माता गोनो पोद्दारिन वो दशरथ पोद्दार माता कटनी पोद्दारिन अंश समान सा० देह।				
26	21	17	रैयती	धानी-3	0.20					
27	21	75	रैयती	धानी-3	0.02					
28	26	127	रैयती	बाड़ी-1	0.08	पारो देवी वो शांति देवी पे० अयोध्या मिर्धा अंश समान सा० देह।				
29	27	163	रैयती	धानी-3	0.01	बद्री महतो वो महेन्द्र महतो पे० देवी महतो वो बाबु महतो वो धनेश्वर महतो पे० महराजी महतो वो सूधीर महतो पे० शुकर महतो अंश समान सा० देह।				
30	27	164	रैयती	धानी-3	0.01					
31	27	325	रैयती	धानी-3	0.03					
32	31	110	रैयती	धानी-3	0.03	रतनेश्वर मोदी वो प्रकाश मोदी वो विनोद मोदी वो रंजीत मोदी पे० भुवनेश्वर मोदी वो मसुदन मोदी वो रामदेव मोदी वो बैकुण्ठ मोदी वो राजामणि मोदी पे० महावीर मोदी वो महेश्वर मोदी वो जगलाल मोदी वो नकूल मोदी वो दीपक मोदी पे० जगदीश मोदी अंश समान सा० देह।				
33	32	161	रैयती	बाड़ी-1	0.08	रामेश्वर महतो पे० रबड महतो।				
34	32	162	रैयती	मकान	0.01					
35	33	120	रैयती	धानी-3	0.03	सुकदेव ठाकुर माता धोधो नापिताइन वो सचिना देवी पति हरि नापित वो दीनदयाल ठाकुर वो सुरेन्द्र ठाकुर पे० डोमन ठाकुर वो मनोज ठाकुर वो फूलचन ठाकुर पे० टीपन ठाकुर वो संजय ठाकुर वो रंजीत ठाकुर पे० मंगरू ठाकुर अंश समान सा० देह।				
36	33	116	रैयती	बाड़ी-1	0.05					
37	33	115	रैयती	धानी-3	0.04					
38	34	198	रैयती	धानी-3	0.09	हरि महतो वो कार्तिक महतो पे० नूनधन महतो अंश समान सा० देह।				
39	34	197	रैयती	धानी-3	0.01					
40	34	326	रैयती	धानी-3	0.03					
41	36	209	रैयती	बाड़ी-2	0.05	मोहन महतो वो सोहन महतो पे० कैला				

						महतो वो चनकु महतो वो रामदेव महतो पे० सोना महतो वो गिरधारी महतो पे० हरि महतो अंश समान सा० देह।			
42	39	114	रैयती	बाड़ी-2	0.11	भावानन्द झा वो ललिता चन्द झा वो बावानन्द झा पे० मुनिन्द्रा दत्त झा वो काली प्र० झा वो मनसा प्रसाद झा वो पंचानन्द झा पे० परमानन्द झा वो राकेश कुमार झा पे० बामानन्द झा वो गंगा महारानी देव्या वो मोती देव्या पे० त्रिलोकी नन्द झा।			
43	39	113	रैयती	बाड़ी-1	0.04				
कुल रकवा-					<b>2.68</b>				

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
24/11/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक 865 / भू अ०, देवघर, दिनांक 25/11/17

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
24/11/17  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।